रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 12, 1975 (आषाढ़ 21, 1897)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 12, 1975 (ASADHA 21, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	487
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1055
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियो, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	873
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोडकर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1871
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2453
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	373
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	5485
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	433
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	13
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1301
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	113

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	487
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1055
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	873
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	187
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	353
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	373
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	485
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .	433
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	13
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	301
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	113

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की विधितर विषयों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

(Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जुलाई 1975

सं० 54-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सुगन सिंह,
जमादार,
46 वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

जमादार सुगन सिंह केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 46 वी बटालियन की "ए" कम्पनी की प्लाटून नं० 1 का नेतृत्व कर रहे थे और पंडा की पुल चौकी के इंचार्ज थे जो दुर्गापुर की पाकिस्तानी सेना चौकी से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर थी। यह चौकी शत्रु के हथियारबन्द गश्ती दल को, जो हमारे क्षेत्र में गड़बड़ पैदा करने तथा पड़ोस के शरणार्थी-शिविरों में आतंक फैलाने व संचार व्यवस्था को समाप्त करने की दृष्टि से घुसपैठ कर रहे थे, रोकने के लिए स्थापित की गई थी।

25 नवम्बर, 1971 को इन पाकिस्तानी घुसपैठिया-गश्ती दलों द्वारा पड़ोस मे स्थित एक शिविर पर आक्रमण किया गया। जमादार सुगन सिंह अपने दल की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसे चौकी से छोड़ा जा सकता था, लेकर कैम्प की सहायता के लिए तुरन्त गए। अनुकरणीय-नेतृत्व शक्ति एवं उत्कृष्ट कौशल का परिचय देते हुए उन्होंने शत्रु के शक्तिशाली गश्ती दलों पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे यह समझे कि सहायता के लिए बहुत भारी कुमुक आ गयी है। इस प्रकार उन्होंने शत्रु को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और वे भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद छोड़ गए। श्री सुगन सिंह ने अदम्य व्यक्तिगत शौर्य तथा शत्रु के आक्रमण का सामना करने के लिए युक्तिपूर्ण युद्धनीति का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 नवम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 55-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सुरजीत सिंह गिल,
हैड कांस्टेबल सं० 59110019,
सिगनल बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।
श्री रती राम,
नायब आपरेटर सं० 6900675,
सिगनल बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध की घोषणा से पूर्व भी पूर्वी क्षेत्र में स्थिति नितांत युद्ध जैसी थी। पाकिस्तान द्वारा कई महीनों से रूक-रूक कर अघोषित युद्ध किया जा रहा था। दिनांक 12-8-71 को सुबह 6-30 बजे त्रिपुरा के केलाशहर सब-डिविजन में रानीबाड़ी सीमा निरीक्षण चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने भारी गोलाबारी की तथा मार्टरों से गोली चलाई। हैड कास्टेबल सुरजीत सिंह गिल, जिनकी टुकड़ी पाकिस्तानी सीमा निरीक्षण चौकी के सामने की एक खन्दक मे स्थित थी गोलो के टुकड़ों से बुरी तरह नष्ट हो गई। हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह गिल दाहने पैर में घुटने से ऊपर चोट लगने के कारण घायल हो गए। घाव की परवाह न करते हुए हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह गिल अपनी चौकी पर जमे रहे और अपने नेतृत्व मे स्थित टुकड़ी को अपने स्थान पर डटे रहने के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने शत्रु को तनिक भी हावी न होने दिया। उनकी टुकड़ी द्वारा की गई तेज कार्रवाई से मात खाकर तथा पराजित होकर शत्रु को विवश होकर गोलाबारी बद कर सुरक्षात्मक मोर्चाबंदी करनी पड़ी।

गोलाबारी के दौरान नायक आपरेटर रती राम जो रानीबाड़ी सीमा निरीक्षण चौकी में वायरलैस सैट पर नियुक्त थे, वे भी बाई आंख की भौं पर गोले का टुकड़ा लगने से घायल हो गए। किन्तु इसके कारण उन्होने अपने कर्त्तव्य के पालन में बाधा न आने दी और वे अपने घाव की परवाह न करते हुए दल के हित में अपने वायरलैस सैट का संचालन करते रहे जिससे बटालियन मुख्यालय द्वारा सीमा चौकी मे सहायता के लिए और कुमुक भेजना संभव हुआ।

हैड कांस्टेबल सुरजीत सिंह गिल तथा नायक आपरेटर रती राम दोनो ने शत्रु का सामना करने में निर्भीक आत्म-शक्ति तथा उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 अगस्त, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 56-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री प्रह्लाद राम,
जमादार,
16 वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

श्री प्रहलाद राम अपनी प्लाटून के साथ गोलाबारूद के एक महत्वपूर्ण स्थान की रक्षा के लिए तैनात थे। 6 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने दिन के 12 बजकर 45 मिनट पर राकेटों से हमला किया और गोला बारूद भंडार के क्षेत्र के बाहर सरकन्डों मे आग लगा दी। श्री प्रह्लाद राम अपनी प्लाटून के साथ तुरन्त आग वाले स्थान पर पहुंचे और आग को, जो कि तेजी से गोलाबारूद भंडार की ओर बढ़ रही थी, नियन्त्रण में कर लिया।

अपने उत्कृष्ट साहस, विशिष्ट सूझबूझ तथा उच्च कोटि के नेतृत्व से श्री प्रहलाद राम ने इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान को बचा लिया। अन्यथा, उसके नष्ट होने से हमारे युद्ध-प्रयास कमजोर पड़ जाते और गोलाबारूद वाले स्थान में तथा उसके आस-पास बहुत से व्यक्ति हताहत हो जाते।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 57-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जीत बहादुर लिबू
नायक संख्या 65016386,
16वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया

4 दिसम्बर, 1971 को प्रातः पाकिस्तानी विमानों ने एस० एम० पुर चौकी पर बार-बार हमले किए तथा बमबारी की जिसके परिणामस्वरूप सभी जवानों को बंकरो में आड़ लेनी पड़ी। नायक जीत बहादुर लिम्बू जो विमान भेदी कार्य के लिए लगी हल्की मशीन गन के निकट थे, झट कूद कर खुले गड्ढे में चले गए। उन्होने हल्की मशीन गन को सम्भाला और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए शत्रु के बमबारी करने वाले विमानों पर गोलाबारी शुरु कर दी। इस प्रकार उन्होने शत्रु की बमबारी को निष्फल तथा अस्त-व्यस्त बना दिया ।

नायक जीत बहादुर लिम्बू ने शत्रु द्वारा विमानों से किए गए प्रबल आक्रमण मे भी असाधारण सतर्कता, उत्कृष्ट साहस तथा विशिष्ट कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 4 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

स० 58-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरद्वारी लाल,
लासनायक संख्या 64016092,
16वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17 दिसम्बर, 1971 को सायं लगभग 7 बजे पाकिस्तानी सेना ने नारायणपुर चौकी पर गोलाबारी करनी शुरु कर दी और साथ ही उस पर एम० एम० जी० तथा एल० एम० जी० से भी गोले बरसाए। शत्रु की एम० एम० गनों का पता लगाने के लिए, जिनके गोले चौकी की ठीक निशाना बना रहे थे, लांस नायक हरद्वारी लाल ने गश्ती दल का नेतृत्व करने के लिए अपने को पेश किया। यह कार्य उन्होने अपनी निजी सुरक्षा की बिलकुल परवाह न करते हुए बड़ी योग्यता तथा साहस के साथ किया। तत्पश्चात् शत्रु की 3 इंच मोर्टार से की गई गोलाबारी का मुह बन्द कर दिया तथा उनकी एम० एम० गन भी शान्त कर दी जिससे हमारी चौकी को बड़ी राहत मिली ।

लांस नायक हरद्वारी लाल ने शत्रु की गोलाबारी का मुकाबला करने मे असाधारण साहस, विशिष्ट कर्तव्यनिष्ठा तथा प्रेरणादायी नेतृत्व का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 59-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री पारसनाथ पाण्डे,
कास्टेबल ड्राइवर स० 68038254,
38 वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16 सितम्बर, 1971 को केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 38 वी बटालियन के कास्टेबल ड्राइवर पारसनाथ पाण्डे को "ई" कपनी के कुछ कर्मचारियों तथा भडार को त्रिपुरा के कमालपुर सब डिविजन मे मोराचेरा चौकी से चमानू पहुचने का काम सौपा गया था।

सुबह लगभग 5 बजे जब वे इस सबध मे प्रारभिक तैयारिया पूरी कर रहे थे तो कमालपुर नगर तथा मोराचेरा चौकी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी मोर्टार तथा मार्टार से गोलाबारी आरभ कर दी गई। एक गोला उनक वाहन के पास फटा जिसका एक टुकडा लगने से उनकी टाग गभीर रूप से जख्मी हो गयी।

गम्भीर रूप से घायल होने तथा गोलाबारी चलती रहने के बवजूद कास्टेबल ड्राइवर पारसनाथ पाण्डे ने अपने घावो की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट साहस, तत्परता तथा कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया, और अपने पास के नागरिको का, जो अपने सामान्य कार्यों मे जुटे हुए थे, बचाने के लिए उन्होने बचाव कार्य हाथ मे लिया। उन्होने वहा के 40 नागरिको को अपने वाहन मे बिठा लिया और सुरक्षित स्थान मे पहुचा दिया तथा अपने चार्ज के सरकारी वाहन को भी बचा लिया यह सब कुछ उन्होने लगातार चल रही गोलाबारी तथा अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए किया।

श्री पारसनाथ पाण्डे ने 40 नागरिको को सुरक्षित स्थान मे पहुचाने मे उत्कृष्ट साहस, दृढ-निश्चय और विशिष्ट सतर्कता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 16 सितम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

स० 60-प्रेस/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नाकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है।

अधिकारियो के नाम तथा पद

श्री विश्वकर्मा राम,
लास नायक सख्या 68038092,
38 वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री राम नारायण यादव,
कास्टेबल स० 68038360,
38 वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

त्रिपुरा के कैलाशहर सब-डिवीजन मे रगौटी बाह्य सीमा चौकी पर जहा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 38 वी बटालियन की "ई" कम्पनी तैनात थी, 12-9-71 की शाम को 5 बजकर 35 मिनट पर भारी गोलाबारी की गई। कुछ गोले बाह्य सीमा चौकी के आस-पास असैनिक क्षेत्रो मे भी गिरे। बाह्य चौकी की रक्षा करने के साथ-साथ दल के लिए असैनिक जनता को इस आक्रमण से बचाने मे आवश्यक सहायता प्रदान करना अनिवार्य हो गया था।

अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए लास नायक विश्वकर्मा राम और कास्टेबल राम नारायण यादव ने अपेक्षित सहायता प्रदान करने की स्वेच्छा प्रकट की और अपनी खन्दक से बाहर निकलकर घायल असैनिको को जिनमे महिलाए और बच्चे भी थे, बचाने के लिए दौडे। इस प्रक्रिया मे गोलो के टुकड़ो से दोनो जख्मी हुए किन्तु उन्होने निडर होकर असैनिको को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए मार्गदर्शन और घायलो का प्रथमोपचार कराने का कार्य पूर्ण किया।

अपने घावो की बिल्कुल परवाह न करते हुए श्री विश्वकर्मा राम और श्री राम नारायण यादव ने दृढ-सकल्प तथा साहस और निश्चल कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया जिसकी सभी स्थानीय निवासियो द्वारा बडी सराहना की गई।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 12 सितम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

स० 61-प्रेस/75 —राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नाकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वाई० वी० के० रेड्डी,
पुलिस उप अधीक्षक,
46वी बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7 अगस्त, 1971 की 46वी बटालियन के पुलिस उप अधीक्षक श्री वाई० वी० के० रेड्डी अपनी "वी" कपनी के साथ मेघालय गए। अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त उन्हे दो और कम्पनियो की कमान्ड दी गयी जिन्हे उन्होने सामरिक रूप से सिविल पुलिस के सपर्क मे नियुक्त किया और रात्रि मे एक चौकी से दूसरी चौकी तक गश्त लगाते हुए जनता मे मनोबल एव विश्वास की भावना जागृत की।

27/28 अक्तूबर, 1971 के बीच की रात को जब वे मनग मे प्लाटून मुख्यालय मे थे, तो एक पाकिस्तानी टुकडी ने रात्रि के 9 बजे से 11-30 बजे तक तीन विभिन्न दिशाओ से चौकी पर गोलाबारी की। श्री वाई० वी० के० रेड्डी ने अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए, अपने साथ एक टुकडी ली और चौकी के बाहर चले गये और शत्रु पर वह प्रभाव डालने के लिए कि उनके पास वास्तविक दल से अधिक शक्ति है, उन्होने निजी रूप से शत्रु पर विभिन्न स्थानो से आक्रमण किया। पाकिस्तानी, जो उस क्षेत्र मे घुस आये थे, सामरिक महत्व की इस कार्यवाही से घबरा गए और आक्रमण करने से पूर्व ही उन्हे वापस लौटने को बाध्य होना पड़ा।

श्री वाई० वी० के० रेड्डी ने दृढ़-निश्चय, कर्त्तव्य-परायणता, युद्ध नीति की गहरी सूझ-बूझ और उदाहरणीय निजी साहस का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है ।

स० 62-प्रेज/75 ——राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है ——

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री वीर सिह,
कास्टेबल स० 68020478,
20वी बटालियन ,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

कास्टेबल वीर सिह केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 20 वी बटालियन की "डी" कम्पनी के सदस्य थे जिसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर सामरिक महत्व के "चिकन नैक" क्षेत्र मे तैनात किया गया था ।

5 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने "जमना बेला" चौकी पर, जिसे हमारी सेनाओ ने पहले ही खाली कर दिया था, कब्जा कर लिया, और वह उस क्षेत्र मे और आक्रमणो के लिए तत्पर था । केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 20वी बटालियन की "डी" कम्पनी को "जमना बेला" को शत्रु से खाली कराने तथा चौकी पर पुन कब्जा करने का आदेश दिया गया ।

कास्टेबल वीर सिह ने "जमना बेला" चौकी पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के जवानो द्वारा किये गये भीषण जवाबी आक्रमण मे भाग लिया । अपनी हल्की मशीनगन का पूरा उपयोग करते हुए श्री वीर सिह ने प्रभावी रूप से शत्रु को उलझाया और इस प्रकार शत्रु की ओर से होने वाली गोलाबारी के प्रहार का जोर अपने ऊपर ले लिया । उच्च कोटि की सतर्कता तथा साहस का प्रदर्शन करते हुए एव अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए कास्टेबल वीर सिह गोलाबारी कर के प्रभावी आवरण (कवर) प्रदान करते रहे जिससे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के जवानो का मुख्य भाग ठीक अपने लक्ष्य तक बढने मे समर्थ हो गया और इस भारी रक्षित मोर्चे से शत्रु को खदेड दिया गया ।

अपनी कम्पनी को सौपे गये आक्रमक कार्यवाही करने के कार्य मे कास्टेबल वीर सिह ने जिस बहादुरी तथा अडिग कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया वह उच्च कोटि की होने के साथ साथ इस पुलिस दल की सर्वोत्तम परम्पराओ के अनुरूप थी ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 5 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

स० 63-प्रेज/75 ——राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है ——

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री किशन चन्द,
जमादार,
38वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ,

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

नवम्बर, 1971 के अन्तिम सप्ताह मे भारत के विरुद्ध लडाई की घोषणा के तुरन्त पहले पाकिस्तानी सेना ने त्रिपुरा मे सुब्रूम सब-डिवीजन मे सुब्रूम नदी के दूसरे तट पर दलबारी के सामने खाइयो मे मोर्चा सम्भाल लिया । केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 38वी बटालियन के जमादार किशन चन्द को दलबारी मे एव प्लाटून चौकी स्थापित करने तथा भारतीय क्षेत्र मे शत्रु के प्रवेश को रोकने का कार्य सौपा गया । प्लाटून तैनात की गई और उसने 2 दिसम्बर, 1971 को अन्धेरे मे खाई खोदना आरम्भ किया । पुलिस दल के वहा पाव जमने से पहले ही पाक सेना ने 3 दिसम्बर 1971 की रात्रि को उस क्षेत्र मे अचानक गोलाबारी शुरु कर दी । केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के स्थापित किये गये नये मोर्चे को तोपखाने की सहायता उपलब्ध न थी और शत्रु द्वारा उस पर स्वचालित हथियारो से गोलाबारी की जा रही थी ।

प्रतिकूल परिस्थितियो के होते हुए भी जमादार किशन चन्द के योग्य मार्ग दर्शन तथा उच्च साहस के कारण केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की छोटी सी टुकडी ने न केवल अपने मोर्चे को भारी विषमता होने पर भी कायम रखा बल्कि शत्रु की निरन्तर भारी गोलाबारी के बावजूद वे आगे बढ़ने मे भी समर्थ हुई ।

श्री किशन चन्द, जमादार, ने उच्चकोटि के नेतृत्व, निर्भीक साहस तथा प्रशसनीय कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया और आक्रम्य क्षेत्र मे शत्रु को घुसने से रोक दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए, दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 3 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

स० 64-प्रेज/75 ——राष्ट्रपति केन्द्रीय आरिक्षत पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते है .——

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बलबीर सिह,
कास्टेबल सख्या 6203826,
38वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओ का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

त्रिपुरा के कमालपुर सब-डिवीजन की बालीगाव सीमा चौकी मे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की 38वी बटालियन की "बी" कम्पनी

तैनात थी और इस बाह्य सीमा चौकी के कर्मचारियों को अन्य बातों के साथ-साथ गंगानगर, मोहनपुर तथा मोलाया गांवों में सावधानी के साथ गश्त लगाने और भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की घुस-पैठ रोकने का काम सौंपा गया था ।

युद्ध से पूर्व की स्थिति में दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 की प्रातः लगभग 6-30 बजे सैक्शन की संख्या में एक गश्ती दल बानी गांव बाह्य सीमा चौकी से सीमावर्ती गांव गंगानगर भेजा गया। जब गश्तीदल उस क्षेत्र में गश्त लगा रहा था तो लगभग 11-30 बजे पूर्वाह्न 150 सशस्त्र पाकिस्तानी उपद्रवी, जिनमें पाकिस्तानी सेना की एक नियमित प्लाटून भी सम्मिलित थी, गंगानगर गांव में घुस आए और घरों में आग लगाने लगे । साथ ही, गांव तथा गश्तीदल पर समीप की पाकिस्तानी आदिया बाह्य सीमा चौकी से मार्टरों, स्वचालित हथियारों तथा छोटे हथियारों से भी आक्रमण किया गया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 65-प्रेज/75 ——राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उस वीरता की लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :——

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शेर सिंह ,
जमादार,
38वीं बाटलियन ,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

बिशनपुर सीमांत बाह्य चौकी त्रिपुरा के सुब्रूम सब-डिवीजन में कंपनी मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी । इस बाह्य चौकी में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 38वी बटालियन की एक प्लाटून तैनात थी । 3 दिसम्बर, 1971 की रात्रि को शत्रु ने अपनी सीमा से खेतलचारी, दलबारी व सुब्रूम में हमारे सुरक्षात्मक मोर्चों पर गोलाबारी आरम्भ कर दी । शत्रु की गोलाबारी की जवाबी कार्रवाई में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की सहायता के लिए तोपखाना उपलब्ध नहीं था और उसकी दूरी केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के पास उपलब्ध हथियारों की मार के बाहर थी ।

कई घंटों तक बिना किसी सफलता के शत्रु की कार्यवाही भुगतने के पश्चात् दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 को लगभग साढे आठ बजे प्रातः यह निश्चय किया गया कि एक गश्ती दल को शत्रु के क्षेत्र के अन्दर वहां तक भेजा जाय जहां से कार्यवाही कर रही पाकिस्तानी सीमा चौकियां हमारे हथियारों की मार के अन्दर आ जायें । जमादार शेर सिंह ने इस नाजुक और पूरी तरह खतरनाक काम को अपने हाथ में लिया तथा दल की एक साधारण टुकड़ी को लेकर सीमा पार की ओर सीमा के काफी अन्दर जा कर पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर 2 इंच मार्टरों से आक्रमण कर दिया तथा अपने ठिकाने पर वापस आने से पूर्व शत्रु की गोलाबारी को शान्त कर दिया ।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की इस टुकडी ने घुसपैठ कर रहे शत्रु का मुकाबला किया और कुछ ही मिन्टों में कान्सटेबल बलबीर सिंह, जो कि प्रमुख थे, के सिर में गम्भीर चोट लगी । निर्भीक होकर और अपने प्राणों की जोखिम की परवाह न करते हुए वे रैंगकर आगे सरकते गये और शत्रु पर गोली चलाते रहे, और गश्तीदल के अन्य सदस्यों के लिए एक उदाहरण देते हुए असाधारण साहस, आत्मसंयम एवं सही निशाने की योग्यता का परिचय दिया जिससे उनके लिए पाकिस्तानी हमले का मुकाबला करना तथा पाकिस्तानी उपद्रवियों का बहुत अधिक संख्या में होने के बावजूद उन्हें खदेड़ना संभव हो सका । केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की इस टुकड़ी की कार्रवाही से बहुत नागरिकों की जानें बची तथा उन की सम्पत्ति को क्षति से बचाया गया ।

इस कार्रवाई में कान्सटेबल बलबीर सिंह ने, गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद, अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता, तत्परता एवं कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 से दिया जाएगा ।

सं० 66-प्रेज/75——राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उन की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :——

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री डी० आर० मुखिया,
जमादार नं० 60008041,
38वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री चत्तर सिंह,
हैड कांस्टेबल,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री ए० एस० सरले,
कांस्टेबल नं० 69038001,
38वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

त्रिपुरा के अमरपुर सब-डिवीजन में चकपुर की बाह्य सीमा चौकी में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 38वी बटालियन की एक प्लाटून 9 नवम्बर, 1971 को जमादार डी० आर० मुखिया के नेतृत्व में तैनात की गई थी । 13 नवम्बर, 1971 को पाकिस्तान की अनियमित हथियारबन्द फौजों द्वारा, स्वचालित एवं क्षेत्रीय हथियारों के साथ दक्षिण पूर्व की ओर से आक्रमण करके पुलिस दल को चौकी से उखाड़ने तथा सीमा क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न

करने का प्रयत्न किया गया। बाह्य सीमा चौकी से 400 गज की दूरी पर एक पेड़ की चोटी पर, शत्रु की गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक निगरानी चौकी बनायी गई थी, जिसमें हैड कांस्टेबल चत्तर सिंह तथा कान्स्टेबल ए० एस० सरुले तैनात किए गए थे। पाकिस्तानी आततायियों ने बाह्य सीमा चौकी पर आक्रमण करने से पूर्व इस पेड़ पर की निगरानी चौकी को निष्क्रिय करने की मनशा से उस पर गोली चलाई। भारी गोलाबारी के बावजूद पेड़ वाली चौकी के कर्मचारी, पाकिस्तानी फौजों की गतिविधि के बारे में बाह्य सीमा चौकी को सावधान करने में सफल रहे और उसके बाद आक्रमण को नाकाम करने के लिए वे बाह्य चौकी के मुख्य सैनिकों से जा मिले। गम्भीर तथा अचानक खतरे के समक्ष जमादार डी० आर० मुखिया, हैड कांस्टेबल चत्तर सिंह तथा कांस्टेबल ए० एस० सरुले ने शेष कर्मचारियों को एकत्रित किया तथा शत्रु के आक्रमण का, जो 13/14 नवम्बर, 1971 की रात्रिपर्यन्त चलता रहा, तथा दूसरे दिन सुबह रजाकारों की संख्या और बढ़ा कर हमारी चौकी को जीतने की अभिलाषा से फिर किया गया, सफलता से सामना करने के लिए सुरक्षात्मक मोर्चाबन्दी की।

जमादार डी० आर० मुखिया के निर्भीक साहस से अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करने तथा हैड कांस्टेबल चत्तर सिंह तथा कांस्टेबल ए० एस० सरुले की सतर्कता तथा शौर्य के कारण शत्रु की योजना बिल्कुल विफल हो गई।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 नवम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 67-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बलदेव सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल संख्या 68020626,
20वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री बलदेव सिंह, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 20वीं बटालियन की "ए" कम्पनी के जवान थे जिन्हें 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे में 'चिकन नैक' क्षेत्र में तैनात किया गया था।

दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तानी सेना ने जमना बेला चौकी ले ली जिसको इससे पूर्व भारतीय सेना ने खाली करना ठीक समझा था। हमारी चौकी में शत्रु की उपस्थिति का पता गश्ती दल ने लगाया जिसमें कांस्टेबल बलदेव सिंह भी थे। शत्रु से एकाएक मुकाबला पड़ जाने तथा इस तथ्य के बावजूद कि उनकी भारी संख्या के सामने हमारी गश्ती टुकड़ी बहुत छोटी थी, कांस्टेबल बलदेव सिंह ने धैर्य नहीं खोया और खाई में तैनात शत्रु से फौरन भिड़ गये। इस वीर एवं साहसी कांस्टेबल के उदाहरण का अनुकरण करके गश्ती दल के अन्य कर्मचारियों ने भी शत्रु पर वार किया और फिर दोनों ओर से तेजी से गोलाबारी हुई। कांस्टेबल बलदेव सिंह ने अपने साथियों को अपने मोर्चे पर डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया और शत्रु को निरुत्साहित कर दिया और अन्त में उसे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद कांस्टेबल बलदेव सिंह तथा उनके साथी उस क्षेत्र में शत्रुओं की सफाई करने में तब तक लगे रहे जब तक कि वे भारतीय सेना के साथ-साथ अगली पंक्ति में मोर्चे पर नहीं जा डटे।

दिनांक 14 दिसम्बर, 1971 को फिर कांस्टेबल बलदेव सिंह की चौकी पर शत्रु ने बहुत भारी गोलाबारी की। कांस्टेबल बलदेव सिंह ने पुनः सिपाहियाना बहादुरी का परिचय दिया और गोले से घायल हो जाने तक निर्भीकता से अपने मोर्चे पर डटे रहे। कांस्टेबल बलदेव सिंह को फील्ड अस्पताल में ले जाया गया और घाव के कारण 15 दिसम्बर, 1971 को वे वीरगति को प्राप्त हुए।

इन सैन्य कार्रवाईयों में स्वर्गीय कांस्टेबल बलदेव सिंह ने अनुकरणीय शौर्य तथा उत्कृष्ट कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया और अन्ततोगत्वा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 14 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 68-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रणवीर सिंह राणा,
पुलिस उप अधीक्षक,
20वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

सन् 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्री रणवीर सिंह राणा ने केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 20वी बटालियन की "डी" कम्पनी का नेतृत्व किया जिसको पश्चिमी सीमा पर जम्मू व कश्मीर के साथ के क्षेत्र में जो "चिकन नैक" कहलाता है, तैनात किया गया था।

"चिकन नैक" क्षेत्र तथा उसके साथ के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के ध्येय से शत्रु ने 5 दिसम्बर, 1971

को "जमना बेला" चौकी पर, जिसको भारतीय जवान पहले युद्ध नीति के कारण खाली कर आए थे, कब्जा कर लिया। श्री रणबीर सिंह राणा को शत्रु को निकाल बाहर करने तथा चौकी को वापस लेने का कार्य सौंपा गया। श्री रणवीर सिंह राणा ने अपनी कम्पनी का स्वयं नेतृत्व किया तथा उनके नेतृत्व में जो छोटा दल था उसे साथ लेकर उन्होंने चौकी पर पूरे जोर से जवाबी हमला कर दिया। अपने कमाण्डर की वीरता तथा साहस को देखकर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के जवान बहुत प्रभावित हुए। यद्यपि वे संख्या में बहुत कम थे, तथापि वे शत्रु की स्वचालित हथियारों द्वारा की गई भारी गोलाबारी के बावजूद उसे लगातार खदेड़ते गये तथा खन्दकों में जमे हुए शत्रु को उखाड़ कर उन्होंने "जमना बेला" चौकी को पुनः ले लिया। श्री राणा की चतुर योजना व कारगर युक्ति के कारण उनके दल का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

श्री रणवीर सिंह राणा ने समस्त कार्रवाई में वीरता, साहस, कुशल उत्कृष्ट नेतृत्व तथा तत्परता का परिचय दिया और शत्रु को अव्यवस्थित करने तथा उसके द्वारा प्रारम्भ में प्राप्त लाभ को पूर्ण रूप से निष्क्रिय करने में सफल हुए।

श्री राणा तथा उनके नेतृत्व वाली टुकड़ियों द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण सफलता ने उस क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को मजबूत किया और अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए इसने आधार शिला का कार्य किया जिससे भारतीय सेना ने सम्पूर्ण "चिकन नैक" क्षेत्र को अधिकार में कर लिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 69-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ने निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कुन्दन सिंह,
जमादार,
16वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 दिसम्बर, 1971 को जब सीमा सुरक्षा दल की 30वीं बटालियन ने घिनदाह की सीमा चौकी पीछे हटा लेने के कारण पूर्वी किनारे पर सुरक्षा न बनी रहने का लाभ उठाकर शत्रु ने 5 दिसम्बर, 1971 को सायं लगभग 5 बजे उस ओर से पूर्वी किनारे से एम० एम० गनों के फायर के कवर में पहाड़पुर चौकी पर आक्रमण कर दिया परन्तु इस चौकी के अकेले पड़ जाने पर भी जमादार कुन्दनसिंह और उनके जवानों ने शत्रु का कड़ा मुकाबला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शत्रु ने पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे से एक ही दिशा में आगे बढ़ कर तथा साथ में अपने प्रभावशाली चौकी अभियान डोगरा से एम० एम० गन से गोलाबारी करके इस चौकी पर कब्जा करने की एक बार फिर कोशिश की परन्तु शत्रु को इस चौकी के कड़े प्रतिरोध के सामने पीछे हटना पड़ा।

जमादार कुन्दन सिंह ने अडिग साहस, दृढ़ संकल्प तथा उत्कृष्ट नेतृत्व शक्ति द्वारा इस असुरक्षित चौकी को शत्रु के हाथ में पड़ने से बचाया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 70-प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० एन० शारदा,
पुलिस उप अधीक्षक,
38वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

त्रिपुरा के कमालपुर सब-डिवीजन में गंगानगर, मोहनपुर और भोलाया सीमावर्ती गांव पर युद्ध से पहले एक पाकिस्तानी बाह्य सीमा चौकी से पाकिस्तानी गोलाबारी होती रहती थी। 24-8-71 को उपर्युक्त गांवों और कमालपुर शहर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी गोलाबारी की गई जिससे क्षेत्र के बहुत से निवासियों की जानें गईं और उनके माल का भारी नुकसान हुआ। गांव के लोगों ने अपने घर खाली करने और दूसरे सुरक्षित स्थानों को जाना आरम्भ कर दिया।

पुलिस उप अधीक्षक श्री आर० एन० शारदा, को घटना-स्थल का दौरा करने, उपयुक्त स्थानीय कार्यवाही करने और घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और खतरे का मुकाबला करने के लिए अगली कार्यवाही की योजना बनाने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया।

बालीगांव बाह्य सीमा चौकी पर पहुंचकर श्री आर० एन० शारदा क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से मिले, उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया, और गश्त लगाने के कार्यक्रम शुरू किए। परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों में पुनः विश्वास उत्पन्न हो गया और अधिकांश विस्थापित अपने घरों को लौट आये।

26-8-71 को प्रातः लगभग 6 बजे जब किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे तो श्री आर० एन० शारदा गश्ती दल का स्वयं नेतृत्व करते हुए तथा आसपास के क्षेत्र को

छान डालने के बाद गंगानगर के पास पहुंचे। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने छोटे हथियारों से गश्तीदल पर गोली चला दी। इस गोलीबारी में श्री आर० एन० शारदा को बाएं हाथ में गम्भीर चोट आ जाने पर भी सुरक्षात्मक कार्यवाही करने में बड़ी सावधानी से काम लिया, न तो वे भावावेश हुए और न ही उन्होंने अन्धाधुन्ध जवाबी गोलीबारी की, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने से काफी संख्या में खेतों मे काम करने वाले असैनिक दोनों ओर की गोलीबारी में फंस सकते थे। इस कार्य में संयम बरतने के लिए उन्होने अपने जवानों पर नियंत्रण रखा और इस तरह लगातार खतरे और अपने घावों की बिल्कुल परवाह न करते हुए उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया। स्थानीय जनता में व्याप्त घबराहट दूर करने के ध्येय से और उनमे विश्वास बनाये रखने के लिए वे अपने गश्ती दल के साथ क्षेत्र में टिके रहे।

श्री आर० एन० शारदा द्वारा स्थिति से निपटने के लिए अपनाए गये प्रशंसनीय ढंग और उनके साहस की सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की और इस कारण शत्रु पक्ष का मनोबल चूर कर दिया गया।

श्री आर० एन० शारदा ने उत्कृष्ट साहस, उत्तरदायित्व निभाने मे तत्परता, तथा सराहनीय वीरता और नेतृत्व शक्ति का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 अगस्त 1971 से दिया जाएगा।

सं० 71 प्रेज/75—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एन० एस० ठाकुर,
जमादार,
16वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की 16वी बटालियन के जमादार एन० एस० ठाकुर ने अपनी सीमा चौकी पर लगातार गोलाबारी के दौरान जिस शान्त चित्तता एवं अदम्य साहस का परिचय दिया वह उनके साथियों के लिए भारत-पाक युद्ध के दौरान प्रेरणा स्त्रोत बना रहा। 10 दिसम्बर, 1971 को उन्होंने अपनी असाधारण निपुणता से हमारी सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए एक मजबूत बेस स्थापित किया। उन्होने शत्रु क्षेत्र में खोज निकालने का कार्य पूरे जोर से आरम्भ किया तथा शत्रु की मोका चक चौकी से 14 दिसम्बर, 1971 को काफी मात्रा में गोलाबारूद कब्जे में लिया।

इस कार्यवाही मे जमादार एन० एस० ठाकुर ने असाधारण साहस, उद्देश्य प्राप्ति की लगन तथा उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 72-प्रेज/75—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हलधर लस्कर,
पुलिस उप-निरीक्षक,
दालू पुलिस थाना,
जिला—गारो हिल्स,
असम।

सेवाओं का विवरण जिसके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री हलधर लस्कर को अगस्त, 1970 में गारो हिल्स जिले मे दालू पुलिस थाने में नियुक्त किया गया था। जो पूर्वी पाकिस्तान के समीप होने के कारण यह शरणार्थियों से भर गया था और प्रशासन तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति काफी गम्भीर हो गई थी। श्री हलधर ने शरणार्थियों का पंजीकरण किया और कार्य समय पर पूरा कर दिया। वे अतिसंवेदनशील सीमान्त क्षेत्र में यथोचित सावधानी से देखभाल करते रहे। 24/25 मई, 1971 को पाकिस्तानी सेना दालू की बस्ती के कुछ हिस्से पर छा गयी थी किन्तु श्री हलधर लस्कर अपनी जगह पर डटे रहे और अपने क्षेत्र में हो रही भारी गोलाबारी के बावजूद असैनिक जनता द्वारा शहर खाली करने का कार्य करते रहे तथा शरणार्थी शिविर में भी व्यवस्था बनाये रखी।

श्री हलधर लस्कर ने बराबर अपने काम में असाधारण कर्त्तव्य-निष्ठा, उत्कृष्ट साहस और वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 मई, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 73-प्रेज/75—राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विनय चन्द्र बेका,
आपरेटर कांस्टेबल,
असम पुलिस रेडियो संगठन,
असम।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री विनय चन्द्र देका को कछार जिले में सुतारकंडी पुलिस सीमा चौकी पर वायरलैस ट्रान्समिशन् स्टेशन में 13 अप्रैल, 1971 को नियुक्त किया गया था। 24 मई, 1971 को प्रातः लगभग 7 बजे पाकिस्तानी सेना की एक कंपनी ने स्वचालित राइफलों, एल० एम० जी०, एम० एम० जी० और हथ गोलों से सुतारकंडी की सीमा चौकी पर गोलाबारी की। श्री विनय चन्द्र देका जीवन को भारी खतरे में डालकर तथा पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी की परवाह न करते हुए वायरलैस संदेश भेजते रहे। बाद में जब सीमा चौकी के जवानों को सीमा शुल्क चौकी पर भेज दिया गया तो श्री देका पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के बावजूद एरियल एवं बैट्री सहित वायरलैस ट्रान्समिशन सैट को सीमा शुल्क चौकी पर ले आए। जब समीप की सीमा सुरक्षा दल की चौकी में गोलाबारूद कम पड़ गया था और वे ट्रक से, जो चौकी से 150 गज पर आ चुका था, शत्रु की भारी गोलाबारी के कारण अपना सामान प्राप्त नहीं कर सके तो श्री देका ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए ट्रक से गोलाबारूद की दो पेटियां लाकर उनको पहुंचाई। दिन के 12 बजकर 15 मिनट पर जब पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी से सीमा शुल्क चौकी पर स्थिति अरक्षणीय हो गई, तो सीमा चौकी के कर्मचारी लक्ष्मीबाजार में पीछे हट गए। जब कि अन्य पुलिस कर्मचारियों ने सीमा शुल्क चौकी छोड़ दी, श्री देका ने वायरलैस ट्रान्समिशन सैट को अपने साथ लिये बिना अथवा इसे किसी स्थान पर छुपाए बिना, ताकि यह पाकिस्तानियों के अधिकार में न आ जाए, सीमा शुल्क चौकी छोड़ने से इन्कार कर दिया। अनुकरणीय कर्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए, श्री देका वायरलैस ट्रान्समिशन सैट को कुछ दूर तक अपने साथ ले गये और फिर उसे जमीन में छिपा दिया। किन्तु अपना काम पूरा करने तक उन्होंने स्वयं को चारों ओर से पाकिस्तानी सेना से घिरा हुआ पाया। उन्होंने पेट के बल रेंगकर बचकर भाग निकलने का प्रयत्न किया किन्तु उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें ढाका ले जाया गया। भारतीय सेना द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद उन्हें 17 दिसम्बर, 1971 को रिहा कराया गया।

श्री विनय चन्द्र देका ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए और उत्कृष्ट साहस और असाधारण कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मई, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 74/प्रेज/75—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शान्तनु कुमार,
पुलिस अधीक्षक,
बाड़मेर जिला,
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्री शान्तनु कुमार बाड़मेर जिले में पुलिस अधीक्षक थे। बाड़मेर का सीमान्त जिला शत्रु से आक्रम्य था और उसके हवाई अड्डे पर लगभग प्रतिदिन गोलाबारी होती थी। श्री शान्तनु कुमार ने जिले में पूर्ण व्यवस्था बनाए रखी। उन्होंने कम से कम समय में ग्रामीण व शहरी होम गार्डों का भी गठन किया। 7 और 8 दिसम्बर, 1971 के बीच की रात्रि को मध्यरात्रि के तुरन्त बाद शत्रु के बमवर्षकों ने बाड़मेर रेलवे स्टेशन के गोदाम पर अति विस्फोटक बम फैंके जिससे रेलवे वैगनों में आग लग गई तथा प्लेटफार्म पर सोये हुए अनेक व्यक्ति मारे गए। डीजल के कुछ ड्रमों तथा एक तेल की टंकी में आग लग गई। डीज़ल तेल से पूरी भरी एक रेलगाड़ी भी आग लगने के स्थान के समीप खड़ी थी। भारी मात्रा में गोलाबारूद और डीज़ल के बहुत से ड्रम भी पास में पड़े थे। श्री शान्तनुकुमार तुरन्त घटनास्थल पर गये और ज्वलनशील सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रबन्ध किया। ले जाते समय डीज़ल के बहुत से ड्रम फट गए और उनमें आग लग गई। हालांकि वहां कोई काटेवाला उपलब्ध नहीं था तो भी रेलवे के एक अधिकारी की सहायता से श्री शान्तनु कुमार ने वैगनों को रेलगाड़ी से अलग कर दिया और उन्हें ढकेल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जब वह गोलाबारूद के वैगनों को हटाने में व्यस्त थे तो शत्रु के बमवर्षकों ने फिर आक्रमण किया और उस स्थान से 50 से 60 फुट की दूरी पर बम गिराये जहां श्री शान्तनु कुमार और उनके दल के व्यक्ति काम कर रहे थे। शत्रु की बमबारी के बावजूद श्री शान्तनु कुमार ने काम जारी रखा।

श्री शान्तनु कुमार ने असाधारण कर्तव्य-निष्ठा, सूझबूझ और उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 75-प्रेज/75—राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सिद्दा राजू,
जूनियर कप्तान,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 76-प्रेज/75—राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री केवल कृष्ण शर्मा,
उप निरीक्षक,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 77-प्रेज/75—राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा,
जूनियर कप्तान,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है।

सं० 78-प्रेज/75—राष्ट्रपति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री करनैल सिंह,
जमादार,
7वीं बटालियन, नौगांव,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस,
जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

भारत-पाक युद्ध के दौरान श्री करनैल सिंह को अपनी कम्पनी को साथ लेकर पाकिस्तानी छापामार घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जाने का आदेश दिया गया। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के बाद तुरन्त उन्हें, तोप चौकियों की रक्षा के लिए अपनी प्लाटून को तैनात करने को कहा गया। उस समय दुश्मन के तोप खाने से भारी गोलाबारी तथा शैलिंग होते हुए भी, श्री करनैल सिंह अपनी जान को गम्भीर खतरे मे डाल कर इस कार्य में लग गए। उन्होंने स्वयं, अपनी प्लाटून की मोर्चाबन्दी का निरीक्षण किया और अपने जवानों को एसे स्थानों पर तैनात किया जहा से वे शत्रु की गोलाबारी को अच्छी तरह देख सके और उसका कारगर ढंग से मुकाबला कर सकें। 7 दिसम्बर, 1971 की रात्रि को उनकी प्लाटून की एक चौकी को सम्भालने का आदेश मिला। इस नये स्थान को जाने में अपनी प्लाटून का उन्होंने स्वयं नेतृत्व किया यद्यपि रास्ता खतरनाक था और शत्रु सब जगह सक्रिय था।

यह पता चलते ही कि पाकिस्तानी छापामारों ने इन क्षेत्रों में भारी संख्या में घुसपैठ की है, उन्होंने अपने कम्पनी कमान्डर के निर्देशानुसार उस क्षेत्र की जोरदार गश्त लगाने एवं छानबीन का आयोजन किया। गश्ती टुकड़ियों में वे हमेशा सब से आगे रहे और उनका साहस तथा दृढ़-संकल्प उनके जवानों के लिए एक ज्वलन्त उदाहरण रहा। यह क्षेत्र पहाड़ी था और जिसमें बीच-बीच में घने जंगल भी थे, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त पाकिस्तानी छापामारों से भरा हुआ था। गश्त लगाने तथा शत्रु को खोज निकालने का कार्य इतना कारगर ढंग से किया गया कि पाकिस्तानियों के पांव न जमने पाये और तोप चौकियां सुरक्षित बनी रहीं। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी छापामारों की योजनायें बेकार कर दी गईं और उनमें से अनेक व्यक्ति विभिन्न स्थानों पर पकड़ लिये गये तथा कुछ को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा गोली का निशाना बना दिया गया।

श्री करनैल सिंह ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में तोपों वाले क्षेत्र तथा चौकी की मोर्चाबन्दी का सफलतापूर्वक आयोजन करने में तथा अपनी जान को जोखिम में डालकर दुर्गम क्षेत्र की लम्बे समय तक लगातार कारगर गश्त लगाने में नेतृत्व, लगन तथा असाधारण साहस जैसे गुणों का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 79-प्रेज/75—राष्ट्रपति भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री त्रिलोक सिंह,
कंपनी कमांडर,
7वीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

भारत-पाकिस्तान युद्ध में 5 दिसम्बर, 1971 को श्री त्रिलोक सिंह अपनी कम्पनी के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे जहां उस समय शत्रु के तोपखाने से भारी गोलाबारी हो रही थी। उनकी कम्पनी को आये हुए अभी दो दिन ही हुए थे कि उन्हे एक चौकी को मजबूत करने के लिए अपने जवान भेजने का आदेश दिया गया। गन्तव्य स्थान को जाते हुए उनकी कम्पनी पर पाकिस्तानी छापामारों ने भारी गोलाबारी कर दी। उस समय उनके पास दो विकल्प थे—वापस हटना अथवा उस कार्य को पूरा करना जो उन्हे

सौंपा गया था। उन्होंने अपना कार्य पूरा करने का निश्चय किया हालांकि स्थिति खतरों से भरी हुई थी। उन्होंने सावधानी पूर्वक मार्ग चुना और पूरी सुरक्षा के साथ बिना किसी हानि के गन्तव्य स्थान तक जवानों का मार्गदर्शन किया। रात्रि को चौकी पर पहुंचकर वे तुरन्त अपनी मोर्चा बन्दी में लग गये। सशस्त्र घुसपैठियों ने जिनमें पाकिस्तानी सेना के सुप्रशिक्षित व्यवसायी, जवान और हट्टे-कट्टे सिपाही थे, और छापामार बटालियन के विशेष सेवा दल में से थे, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कम्पनी से बाद की रात्रियों में स्वचालित हथियारों से विभिन्न स्थानों में भिड़ते रहे। श्री त्रिलोक सिंह ने रात दिन निगरानी रखी और चौकी की सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं पर्यवेक्षण किया। उन्होंने शत्रु की गोलाबारी का कारगर ढंग से जवाब दिया और कारगर गश्त का आयोजन किया। इससे शत्रु के छापामार भागते नजर आये और उनके पांव कहीं भी जमने नहीं दिये। उनके अथक प्रयत्नों से अन्त में पाकिस्तान के विशेष सेवा दल की प्रथम छापामार बटालियन का एक सशस्त्र घुसपैठिया पकड़ा गया। इसके अतिरिक्त श्री त्रिलोक सिंह ने अपनी व्यवहार-कुशल पूछताछ द्वारा इस बन्दी पाकिस्तानी छापामार से न केवल उसके हथियार ही बरामद किए बल्कि रणनीति तथा सैन्य कार्रवाई के महत्व की सूचना भी उपलब्ध की।

शत्रु की भारी गोलीबारी के दौरान अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करने, अपनी जान को गम्भीर खतरा होते हुए भी कारगर ढंग से सुरक्षा के उपाय करने तथा गश्त आयोजित करने एवं कार्रवाई की योजना बनाने के लिए जिसके परिणामस्वरूप शत्रु की योजना विफल हो सकी, श्री त्रिलोक सिंह ने असाधारण साहस, कार्यकुशलता, उत्कृष्ट कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

सं० 80-प्रेज/75—राष्ट्रपति, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री चन्द्रमणी,
नायक सं० 14278,
8वीं बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

भारत-पाकिस्तान युद्ध में, श्री चन्द्रमणी को अपने दल के साथ 'गन एरिया' की रक्षा करने, और पाकिस्तानी सुप्रशिक्षित छापामार घुसपैठियों की गतिविधियों को रोकने के लिए तैनात किया गया था, जो हमारी अग्रिम रक्षा पंक्ति के पीछे से घुसपैठ कर रहे थे। श्री चन्द्रमणी अपने दल के कांस्टेबल कंवर सिंह के साथ आरक्षित स्थान में एक खन्दक की चौकसी कर रहे थे। 16 दिसम्बर की रात्रि के लगभग 10 बजे अनेक पाकिस्तानी छापामार घुसपैठियों ने घोर अन्धेरे में क्षेत्र को घेर लिया और निकट से, स्वचालित हथियारों से छः स्थानों से गोलाबारी करके भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कंपनी पर आक्रमण कर दिया। जिसके जवाब में गोली चलाई गई। किन्तु उस भूखण्ड की प्राकृतिक बनावट का फायदा उठाते हुए अन्धेरे में कुछ छापामारों ने आरक्षित स्थान में चोरी से घुसपैठ की, और बी० एम० गन पर कब्जा करने के उद्देश्य से, जो एक किनारे पर दिखाई दे रही थी, सीधे उसकी ओर बढ़े। अंधेरे के बावजूद उनकी गतिविधि श्री चन्द्रमणी की तेज दृष्टि से न बच सकीं और वे अपने साथी, कांस्टेबल कंवर सिंह, को सतर्क करके तुरन्त चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अपनी तीव्र बुद्धि से उन्होंने तुरन्त एक योजना बनाई कि घुसपैठी उनके बिल्कुल समीप आ जायें। स्थिति को बहुत सही तौर से जांचा अन्यथा अन्धेरे में, यहां दूर से, गोली चलाई जाती तो कुछ लाभ न होता। जब घुसपैठिये खन्दक के बहुत समीप आ गये तो श्री चन्द्रमणी, जो अब तक आड़ में थे, बिजली की तरह दौड़े और अपनी अर्ध-स्वचालित राइफल से तुरन्त 8 गोलियां चलाईं जिनसे दो घुसपैठिये घटना-स्थल पर मारे गए। तीसरा घुसपैठिया घायल हो गया और अंधेरे में बचकर भाग निकला, किन्तु अपनी स्वचालित राइफल छोड़ गया। दो शव और तीन राइफलें घटनास्थल से बरामद हुई। अपनी कुशलता और अद्वितीय साहस-प्रदर्शन से नायक चन्द्रमणी ने उस स्थिति से बचाया जो उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती थी।

श्री चन्द्रमणि ने अपने जीवन को खतरे में डाल कर उत्कृष्ट साहस कर्त्तव्य-निष्ठा और असाधारण कुशलता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 दिसम्बर, 1971 से दिया जाएगा।

कु० बालचन्द्रन्,
राष्ट्रपति के सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 1975

संकल्प

सं० एफ० 10(4)/69-वक्फ०—भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 1, तारीख 23 जनवरी, 1971 में प्रकाशित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग के तारीख 9 दिसम्बर, 1970 के संकल्प सं० एफ० 10(14)/69-वक्फ द्वारा गठित वक्फ जांच समिति की अवधि, जो 30 अप्रैल, 1975 तक बढ़ाई गई थी, जिसे तारीख 25 नवम्बर, 1974 के संकल्प

सं० 10(4)/69-वक्फ में देखिए, इसके द्वारा 31 जुलाई, 1975 तक और बढ़ाई जाती है ।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र के सभी प्रशासकों आदि को भेज दी जाए ।

आदेश किया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ई० वैंकटेश्वरन्, निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11001, दिनांक 21 जून 1975

सं० 13019/6/75-जी० पी०—राष्ट्रपति, दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति मे, निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्यों को वर्ष 1975-76 के लिए सहर्ष मनोनीत करते हैं :—

1. श्रीमती चन्द्रिकाबेन त्रिवेदी
2. श्री रूपजी भाई देवजी भाई पसारिया
3. श्री वरजुलभाई नवसाभाई आन्धेर ।

आर० डी० कपूर, उप-सचिव

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1975

संकल्प

सं० आर०-13015/2/75-सी०एण्ड जी०(पी० नि०)—परिवार कल्याण नियोजन संबन्धी एक त्रिपक्षीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना के विषय में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के संकल्प संख्या 8-16/74-श्रो० एस० बी० (सी० एण्ड जी०) दिनांक 17 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित संशोधन किये जायें :—

(1) पैरा 1, मद संख्या 2 में "केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री" के स्थान पर "श्रम मंत्री" कर दिया जाए ।

(2) मद संख्या 28 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को मद सं० 29 के रूप में अन्त: स्थापित किया जाए :—
"सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष"

(3) बाद की प्रविष्टि की संख्या बदल कर 30 कर दी जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाए और यह संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

सरला ग्रेवाल, संयुक्त सचिव
और आयुक्त (प०नि०)

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली 110001, दिनांक 11 जून 1975

राष्ट्रपति ने यह निदेश दिया है कि पहली मार्च, 1975 से डाक जीवन बीमा और बन्दोबस्ती बीमा सम्बंधी नियमों में निम्नांकित अगले संशोधन किये जाएं, अर्थात् :—

इन नियमों के नियम 42 के उप नियम (i) की धारा (v) के प्रारम्भिक वाक्य में अंक और संक्षेप "7 प्रतिशत" के स्थान पर "8.5 प्रतिशत" अंक और संक्षेप प्रति स्थापित किया जाये ।

आर० एन० डे०, निदेशक
(डाक जीवन बीमा)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd July 1975

No. 54-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Sugan Singh,
Jemadar,
46th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded

Jemadar Sugan Singh was commanding No. 1 Platoon of 'A' Coy 46th Battalion, Central Reserve Police Force and was incharge of the bridge post at Punda, situated about one kilometre north of the Pak Army post at Durgapur. The post was established to check armed enemy patrols infiltrating into our teritory with a view to creating confusion and consternation in the neighbouring refugee camp and to destroy the lines of communication.

On 25th November 1971 a camp in the neighbourhood was attacked by the infiltrating Pak patrols. Jemadar Sugan Singh rushed to the help of the camp with a mere section of his Force which could be spared from the defence of the post itself. Displaying exemplary leadership and outstanding tactics he successfully created the impression on the strong enemy patrols that a much larger force than was actually accompanying him had come to the rescue of the camp. He thus compelled the enemy to withdraw, leaving behind a large quantity of arms and ammunition.

Shri Sugan Singh exhibited undaunted personal courage and employed sound strategy to meet the enemy attack.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th November, 1971.

No. 55-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

NAMES AND RANKS OF THE OFFICERS

1. Shri Surjit Singh Gill,
Head Constable No. 59110019,
Signal Battalion,
Central Reserve Police Force.

2. Shri Rati Ram,
Naik Operator No. 6900675.
Signal Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Even prior to the Indo-Pak hostilities of 1971, the situation in the Eastern Sector was extremely bellicose. In fact, undeclared war was being waged intermittently for several months by Pakistan. On 12-8-1971 at 0630 hours, Ranibari Border Observation Posts in Kailashahr sub-division of Tripura was subjected to heavy shelling and Mortar fire from the Pak Army. Head Constable Surjit Singh Gill whose section had occupied a bunker located opposite the Pak border Observation Posts was heavily damaged by shell splinters. Head Constable Surjit Singh Gill also received an injury on his right leg above the ankle. Ignoring the injury Head Constable Surjit Singh Gill stood at his post and directed action against the enemy by his section preventing any yielding of ground by the force placed under him. Outwitted and overwhelmed by the strong action by his section, the enemy was compelled to convert his offensive action into a defensive position.

During the shelling, Naik Operator Rati Ram who was manning the wireless set at Ranibari BOP also got splinter injury on his left eye brow. This did not, however, deter the Naik from his path of duty and he continued operating his set in the interest of the force, with no concern for he injury sustained by him and this made it possible for the Battalion Headquarters to send re-inforcements for the assistance of the BOP.

Both Head Constable Surjit Singh Gill and Naik Operator Rati Ram showed undaunted spirit and courage of a high order in the face of enemy attack.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th August, 1971.

No. 56-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Prahlad Ram,
Jemadar,
16th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Prahlad Ram was guarding an important Ammunition Point with his platoon when the enemy carried out a rocket attack at 1245 hours on 6th December, 1971 and set the "Sarkanda" outside the A.P perimeter on fire. Shri Prahlad Ram immediately rushed to the scene with his platoon and brought the fire under control which was fast spreading towards the Ammunition Point.

By his conspicuous courage, outstanding resourcesfulness and leadership of a high order, Shri Prahlad Ram saved this important installation, the destruction of which would have crippled our war efforts and would have also resulted in numerous casualties in and around the Ammunition Point.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th December, 1971.

No. 57-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Jeet Bahadur Limbu,
Naik No. 65016386,
16th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the morning of 4th December, 1971, Pakistani aircraft made repeated attacks on S.M. Pur Post and straffed it forcing all the men to take cover in the bunkers. Naik Jeet Bahadur Limbu who was close to the Light Machine Gun positioned for anti-aircraft role promptly jumped into the open pit, caught hold of the Light Machine Gun and in utter disregard of his personal safety commenced firing at the strafing aircraft. Thus he rendered the enemy strafing abortive and haphazard.

Naik Jeet Bahadur Limbu displayed rare presence of mind, conspicuous courage and outstanding devotion to duty in the face of strafing by enemy aircraft.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th December, 1971.

No. 58-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Hardwari Lal,
L/Naik No. 64016092,
16th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 17th December, 1971, at about 1900 hours, the Pak forces started shelling Narainpur Post and simultaneously engaged the Post with MMG and LMG fire. In order to locate the enemy MMGs which were bringing down accurate fire on the post L/Naik Hardwari Lal offered to lead a patrol party. This he did with great skill and dash in utter disregard of his personal safety. 3" Mortar Fire of the enemy was then brought down and other MMGs were also silenced to the great relief of the post.

L/Naik Hardwari Lal, displayed rare courage, outstanding devotion to duty and inspiring leadership in the face of enemy fire.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th December, 1971.

No. 59-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Parasnath Pandey,
Constable Driver No. 68038254,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 16th September, 1971, Constable Driver Parasnath Pandey, 38th Battalion, CRPF,, was detailed for duty to move some personnel and stores of 'E' Company from Maracherra post in Kamalpur Sub-Division of Tripura to Chamanu.

At about 0500 hours, when he was completing preliminaries in this behalf, Kamalpur town and the Maracherra posts came under heavy artillery and mortar shelling by Pak troops. One shell landed near his vehicle resulting in a serious splinter injury to his leg.

Inspite of being seriously injured and the firing being still in progress, Constable Driver Parasnath Pandey displayed conspicuous courage presence of mind and devotion to duty in that, he organised and undertook an immediate rescue operation to save a number of civilians engaged in their normal occupations in his immediate neighbourhood. Loading the 40 civilians present on to his vehicle he evacuated them to safety and also saved the Government vehicle placed under his charge. This was achieved under constant pressure of fire and in complete disregard to his own safety.

Shri Parasnath Pandey exhibited outstanding courage, steadfastness, conspicuous alertness in evacuating 40 civilians to safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and Consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th September, 1971.

No. 60-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

NAMES AND RANKS OF THE OFFICERS

1. Shri Vishwakarma Ram,
   Lance Naik No. 68038092,
   38th Battalion,
   Central Reserve Police Force.

2. Shri Ram Narain Yadav,
   Constable No. 68038360,
   38th Battalion,
   Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Rangauti BOP in Kailashahr Sub-Division of Tripura, manned by 'E' Coy, 38th Battalion, CRPF was subjected to heavy shelling on 12-9-1971 at 1735 hours. Some shells also landed in the civilian areas in the vicinity of the BOP. While defending the outpost it became incumbent for the Force also to render necessary assistance and help to the civilian population against the wanton attack.

L/Naik Vishwakarma Ram and Constable Ram Narain Yadav, volunteered to render the requisite help. In utter disregard of their personal safety, they coming out of the cover of their bunker, ran to the rescue of the injured civilians, including women and children. In this process both of them received splinter injuries but, undaunted, completed the task of guiding the civilians to safety and providing first aid to the injured.

Shri Vishwakarma Ram and Shri Ram Narain Yadav exhibited remarkable determination and courage steadfast devotion to duty unmindful of the injuries sustained by them and received high acclaim from all local inhabitants.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th September, 1971.

No. 61-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Y. V. K. Reddy,
Deputy Superintendent of Police,
46th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Y. V. K. Reddy, Deputy Superintendent of Police, 46th Battalion alongwith his 'B' Company moved into Meghalaya on 7th August, 1971. In addition to his duties he was given the command of two more Companies, which he deployed tactically, in liaison with the Civil Police, and instilled a sense of high morale and confidence in the public, moving from post to post during nights.

On the night of 27th/28th October, 1971, while he was in the platoon HQ at Manag, a column of Pakistanis fired on the post from three different directions from 2100 hours to 2330 hours. Shri Y. V. K. Reddy took a section alongwith him, in complete disregard of personal safety, and went out of the post and personally engaged the enemy from different places to create an impression on the enemy of having a much larger force than he actually had. The Pakistanis who had entered the area felt overwhelmed by this strategic action and even before they could launch an attack they were compelled to withdraw.

Shri Y. V. K. Reddy exhibited steadfast devotion to duty, keen sense of strategy, and exemplary personal courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 62-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Vir Singh,
Constable No. 68020478,
20th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Constable Vir Singh was a member of 'D' Company of 20th Battalion, CRPF which was deployed along the strategic 'Chicken Neck' area on the Western front during the Indo-Pak operations of 1971.

On 5th December, 1971, the enemy occupied 'Jamna Bela' post which had earlier been vacated by our forces and was poised for further attacks in the area. 'D' Coy of 20th Battalion, CRPF was ordered to evict the enemy from 'Jamna Bela' and recapture the post.

Constable Vir Singh took part in the fierce counter attack launched by the CRPF personnel on 'Jamna Bela' post. Firing his LMG to excellent advantage, Shri Vir Singh effectively engaged the enemy, thus bringing upon himself the burnt of the enemy fire. Displaying courage and presence of mind of a very high order and without any regard to his personal safety, Constable Vir Singh continued to provide effective covering fire under the protection of which the main body of CRPF personnel were able to advance right upto their objective and throw the enemy out of his heavily defended positions.

The bravery and steadfast devotion to duty which Constable Vir Singh displayed in the offensive operation entrusted to his company were of a very high order and in the best traditions of the Force

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th December 1971.

No. 63-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Kishan Chand,
Jemadar,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Immediately prior to declaring war on India, the Pakistan Army entrenched themselves in positions opposing to Dalbarri in Subrun Sub-division, Tripura on the other side of the Subrum river. Jemadar Kishan Chand of 38th Battalion, CRPF was assigned the task to establish a Platoon post at Balbarri and deny the enemy an approach into Indian territory. The Platoon was deployed and started digging in on 2nd December, 1971 under cover of darkness. Before the Force could finally dig in, on the night of 3rd December, 1971, the Pak Army suddenly started shelling the area. The newly established CRPF position, which was without any artillery support, was also fired upon from the opposite Pak forces by automatic weapons.

Through the able leadership and outstanding courage displayed by Jemadar Kishan Chand, under war conditions the meagre CRPF contingent succeeded in digging in and establishing themselves firmly inspite of constant heavy fire from the opposite side. Establishment of the post achieved the objective of denying an approach to the enemy in an area which was otherwise exposed.

Jemadar Kishan Chand displayed leadership, undaunted courage and laudable devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd December, 1971.

No. 64-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Balbir Singh,
Constable No. 6203826,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Baligaon BOP in Kamalpur Sub-division of Tripura was occupied by B Coy, 38th Battalion, CRPF, and one of the task given to BOP personnel was to carry out intensive patrolling in villages Ganganagar, Mohanpur and Molaya and to check intrusion of Pak forces into Indian Territory.

On 5th October, 1971, under pre-war conditions, at about 0630 hours a patrol party consisting of a Section in strength was sent from BOP Baligaon to Ganganagar, a border village. While the party was patrolling the area, at about 1130 hours, 150 armed Pak miscreants, which included one Platoon of the regular Pak army, entered in Ganganagar village and started setting the civilian houses on fire. Simultaneously, firing was also directed on the village, and on the patrol party, with mortars, automatic weapons and small arms from the nearby Pak BOP Adia.

The section of the CRPF engaged the intruding enemy and, within minutes, Constable Balbir Singh, who was the leading scout received a grave head injury. Undaunted and in utter disregard of the serious hazard to his life, crawling forward, he continued firing on the enemy with remarkable courage, composure and accuracy, setting a shining example for other members of the patrol party, which made it possible for them to meet the aggression and force the Pak miscreants to retreat, inspite of their overwhelming number. The action of the CRPF section saved many innocent civilian lives and their property.

Throughout the operation Constable Balbir Singh, in disregard of his serious injury, displayed dauntless courage, bravery, determination and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th October, 1971.

No. 65-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Sher Singh,
Jemadar,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Bishanpur BOP was located at about 11 Kms from Coy HQs in Subram Sub-division of Tripura. This BOP was manned by one Platoon of 38th Bn., CRPF. On the night of 312-1971 the enemy started shelling from their BOPs on our defensive positions at Khatelchari, Dalbari and Subrum. There was no artillery available in support of the CRPF to silence the enemy positions and the distance involved was well beyond the reach of weaponary available to the CRPF.

After having suffered the enemy action for several hours without succour, on 4-12-1971 at about 0830 hrs it was decided to send a patrol inside enemy territory to a distance which would bring the Pak BOPs operating against us within the range of our weapons. Jemadar Sher Singh undertook this delicate and highly dangerous task. With a mere section of the Force, he crossed the border, and proceeded well beyond it, mounted an attack on Pak BOPs with 2" mortars and silenced the enemy fire before returning to base.

When the fire again opened up later in the day Jemadar Sher Singh undertook the same operation fraught with danger for a second time, again achieved the desired result and also brought back his entire section safely to his base within Indian territory, thereby causing confusion and loss of morale in the enemy ranks.

Shri Sher Singh showed dauntless courage in the face of grave and imminent danger and displayed a high sence of responsibility in performing the task assigned to him.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowances admissible under rule 5, with effect from the 4th December, 1971.

No. 66-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

NAMES AND RANKS OF THE OFFICERS

1. Shri D. R. Mukhia,
   Jemadar,
   38th Battalion,
   Central Reserve Police Force.
2. Shri Chattar Singh,
   Head Constable No. 60008041,
   38th Battalion,
   Central Reserve Police Force.
3. Shri A. S. Saruuale,
   Constable No. 69038001,
   38th Battalion,
   Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 9th November, 1971 a platoon of 38th Battalion, Central Reserve Police Force was deployed at Chackpur BOP in Amarpur sub-division of Tripura under the command of Jemadar D. R. Mukhia. On 13-11-1971 an attempt was made by Pakistani irregular Armed force to dislodge the post to create a state of confusion on the border by launching an attack at about 1600 hours from the South East with automatic and area weapons.

The watch outpost established at a tree top 400 yards from the BOP was manned by Head Constable Chattar Singh and Constable A. S. Saruuale. The Pak desperadoes fired at this outpost to disable it before attacking the BOP. Inspite of heavy fire the outpost personnel succeded in warning in time the BOP of the movement of Pak forces and joining the main body at the BOP thereafter to help contain the attack. In the face of grave and sudden danger, Jemadar D. R. Mukhia, Head Constable, Chattar Singh and Constable A. S. Saruuale collected the remaining personnel and established defensive positions to successfully meet the enemy attack which lasted throughout the night of 13/14th November, 1971 and was again taken up the next morning by the Razakars with added strength with a view to over-run the post.

The enemy plans were completely foiled by the undaunted courage with which Jemadar D. R. Mukhia led his men and by the alertness and velour displayed by Head Constable Chattar Singh and Constable A. S. Saruuale.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th November, 1971.

No. 67-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Baldev Singh (deceased)
Constable No. 68020626,
20th Battalion,
Central Reserve Police Force

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Baldev Singh was a member of 'A' Coy 20 Bn CRPF which was deployed on the Western front in the 'Chicken Neck' area during the Indo-Pak operations of 1971.

On 5th December 1971, Pakistani troops occupied the Jamna Bela post from which Indian forces had earlier effected a tactical withdrawal. The enemy presence at our post was discovered by a patrol party of which Constable Baldev Singh was a member. Despite this sudden confrontation with the enemy as also the fact that his patrol was heavily outnumbered, Constable Baldev Singh acted with cool courage and promptly engaged the entrenched enemy. Following the brave and spirited constable example, the other patrol personnel also pounced on the enemy and extensive exchange of fire followed. Constable Baldev Singh exhorted and encouraged his colleagues to hold on to their positions and continued firing till the enemy was demoralised and ultimately withdrew.

Thereafter Constable Baldev Singh and his colleagues were engaged in mopping up operations till they took up positions on the forward-most line along side the Indian Army.

On 14th December, 1971, again Constable Baldev Singh post was subjected to very heavy shelling by the enemy. Constable Baldev Singh again exhibited his solderly bearing and held on to his position fearlessly till he was injured by a splinter and had to be evacuated to a field hospital. Constable Baldev Singh succumbed to his injuries on 15th December 1971.

Late Constable Baldev Singh displayed examplary courage and outstanding devotion to duty throughout the operations and ultimately laid down his life for the cause which he had fought so bravely to uphold.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th December, 1971.

No. 68-Pres/75.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officer of the Central Reserve Polic Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ranveer Singh Rana,
Deputy Superintendent of Police,
20th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

During the Indo-Pak war of 1971, Shri Ranveer Singh Rana commanded the 'D' Coy, 20th Battalion, CRPF which was deployed on the Western Border in J & K along the area called the 'Chicken Neck'.

In a bid to consolidate their position in and along the 'Chicken Neck' the enemy on 5-12-1971 occupied the 'Jamna Bela' post from which Indian forces had earlier effected a tactical withdrawal. Shri Rana was entrusted with the task of throwing the enemy out and recapturing the post. Shri Rana personally led his Coy and launched a determined counter attack on the post with the small force under his command. Inspired by their Commander's personal bravery and courage, the CRPF men, though out-numbered, pushed on relentlessly despite heavy enemy fire by automatic weapons, dislodged the entrenched enemy and recaptured 'Jamna Bela' post. Due to intelligent planning and sound tactics followed by Shri Rana, his force suffered no casaulty.

Shri Ranveer Singh Rana displayed bravery, courage, leadership and presence of mind of a very high order throughout the operation, succeded in throwing the enemy into disarray and completely neutralized the initial advantages gained by the enemy. The total success achieved by Shri Rana and the troops under his command consolidated the Indian presence in the area and this became a stepping stone for subsequent operations in which Indian forces seized the entire 'Chicken Neck'.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th December, 1971.

No. 69-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Kundan Singh,
Jemadar,
16th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Taking advantage of the exposed Eastern flank, after the 30th BSF Battalion had withdrawn their Border Post at Dhindah on the 4th December, 1971, the enemy mounted an attack on Paharpur post, supported by MMG fire from the Eastern flank at about 1700 hours on 5th December, 1971. But the isolated post manned by Jemadar Kundan Singh and his men put up stiff and determined resistance compelling the enemy to withdraw. The enemy again tried to capture this post by a pincer movement from Eastern and Western flank supported by MMG fire from their dominating post at Abhial Dogra but had again to fall back in the face of stiff resistance from the post.

Exhibiting cool courage, tenacity and leadership of a high order, Jemadar Kundan Singh, saved this vulnerable post from falling into enemy hands.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th December, 1971.

No. 70-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri R. N. Sharda,
Deputy Superintendent of Police,
38th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of Services for which the decoration has been awarded.

Ganganagar, Mohanpur and Molaya border villages in Kamalpur sub-division of Tripura were often subjected to Pak shelling and firing in pre-war conditions from a Pak BOP. On 24-8-1971 the above mentioned border villages and the Kamalpur town were heavily shelled by Pak forces causing heavy casualties to the inhabitants of the area and damage to their properties. The people of the village started vacating their houses and moving to alternative safe places.

Shri R. N. Sharda, Deputy Superintendent of Police was deputed to visit the scene of incident, take suitable local action and assess the situation on the spot and report to higher authorities for planning of further operations to meet the threat.

Arriving at Balligaon BOP, Shri R. N. Sharda met the local inhabitants of the area, gave them assurance of protection, and initiated intensive patrolling programmes resulting in the return of confidence in the people of the area to an extent that a large proportion of the evacuees returned to their homes.

On 26-8-71 at about 0600 hrs. when cultivators were working on their fields, Shri R. N. Sharda, personally leading a patrol, arrived near Ganganagar after combing the neighbouring areas. In the vicinity of the International Border, the Pak Forces opened fire on the patrol party with small arms. In spite of the fact that,by this firing, serious injury was caused to Shri R. N. Sharda on his left hand, he acted with complete circumspection in organising defensive action, without giving way to emotions and without resorting to wanton firing in reply, in view of the large number of civilians working in the fields who would have got involved in the event of cross fire. Towards this end he maintained complete control over his men to exercise restraint and thus displayed outstanding courage in complete disregard of continuing danger and the personal injury received. He maintained his presence in the area alongwith his patrol party to ensure confidence in the local population and avoiding any panic among them.

The remarkable and courageous attitude brought to bear on the situation by Shri R. N. Sharda earned rich encomia from all sections of the population and resulted in the loss of morale in the enemy camp.

Shri R. N. Sharda exhibited conspicuous gallantry, keen sense of responsibility, undaunted spirit and laudable leadership.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th August, 1971.

No. 71-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri N. S. Thakur,
Jemadar,
16th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The calm aplomb and indomitable courage exhibited by Jemadar N. S Thakur of 16th Battalion, Central Reserve Police Force during frequent shelling of his border post was source of inspiration to his men throughout the Indo-Pak war. With rare tactical skill he established a firm base for attack by the Army on 10th December, 1971. He conducted combing operations into the enemy territory with elan and dash and captured appreciable quantity of ammunition on 14th December, 1971 from the enemy post at Bhika Chak.

In this operation Jemadar N. S. Thakur displayed conspicuous courage, tenacity of purpose and leadership of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th December, 1971.

No. 72-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Haladhar Laskar,
Sub-Inspector of Police,
Dalu Police Station,
District—Garo Hills,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Haladhar Laskar was posted to Dalu Police Station in the Garo Hills District in August, 1970. Because of its proximity to East Pakistan, it was saturated with refugees and posed a problem of serious magnitude from the point of view of administration as also security. Shri Haladhar carried out the registration of the refugees and completed the task in time. He also maintained due care and vigilance in the sensitive border area. On 24th/25th May, 1971 Dalu township was partly overrun by the Pakistan Army but Shri Haladhar Laskar continued holding his post and despite heavy firing moved about in his area directing evacuation of civilian population as well and maintaining order in the refugee camp.

Shri Haladhar Laskar throughout exhibited exceptional devotion to duty and conpicuous courage and gallantry.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th May, 1971.

No. 73-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Assam Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Benoy Chandra Deka,
Operator Constable,
Assam Police Radio Organisation,
Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Benoy Chandra Deka was posted to the W.T. Station at Sutarkandi Police Check Post in Cachar District on 13-4-1971. On 24th May, 1971, at about 0700 hours one company of Pakistan Army opened fire with automatic Rifles, L.M.Gs., M.M.Gs. and Grenades on the Police Check Post at Sutarkandi. Shri Benoy Chandra Deka continued to transmit Wireless messages at great risk of life and in disregard of the firing of the Pakistan Army. Later on when the personnel of the check post were shifted to the Customs Post, Shri Deka shifted the W.T. Set with the aerial and battery to the Customs Post in spite of firing by Pak Army. When neighbouring B.S.F. post ran short of ammunition and could not obtain their stock from a truck which had come within 150 yards of the post due to intense enemy firing. Shri Deka helped them by bringing two boxes of ammunition from the truck in utter disregard of his safety. At 1215 hrs. when the shelling and firing by the Pak Army made the position at the Customs Post untenable, the personnel of the Check Post withdrew to Lakshmibazar. While other police personnel left the Customs Post, Shri Deka refused to leave the post without taking the W.T. Set with him or hiding it somewhere so that the W.T. Set may not come into the possession of Pak Army. Showing exemplary devotion to duty Shri Deka carried W.T. Set with him for some distance and then concealed it under the ground. However, on completing his job he found himself surrounded from all sides by the Pak Army. He tried to escape by crawling but was captured by Pak Army. He was taken to Dacca from where he was released on 17th December, 1971, after the fall of the city to Indian forces.

Shri Benoy Chandra Deka displayed conspicuous gallantry and exceptional devotion to duty in utter disregard to his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th May, 1971.

No. 74-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Rajasthan Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Shantanu Kumar,
Superintendent of Police,
Barmer District,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

During the Indo-Pak conflict 1971 Shri Shantanu Kumar was posted as Superintendent of Police in the Barmer District. The border district of Barmer was vulnerable to the enemy and its airfield was shelled almost daily. Shri Shantanu Kumar maintained complete order in the District. He also raised rural and urban Home Guards in the shortest possible time. On the night of 7th/8th December, 1971, soon after mid-night, the

enemy bombers dropped high explosive bombs on Barmer Railway Station Godown setting fire to the railway wagons and killing a number of persons who were sleeping on the platform. Some diesel drums and an oil tanker caught fire. A train fully loaded with diesel oil was standing close to the place of fire. Large stock of ammunition and many drums of diesel were also lying nearby. Shri Shantanu Kumar immediately rushed to the spot and arranged to remove the inflamable material to a safe place. Many drums of diesel exploded and caught fire in the process of being shifted. Even though no pointsmen were available yet with the help of an officer of the Railways Shri Shantanu Kumar detached the wagons from the railway train and pushed them to a safe place. When he was engaged in moving wagons of ammunition, enemy bombers made another attack and dropped bombs 50 to 60 feet away from the place where Shri Shantanu Kumar and his party were working. In spite of the enemy bombing Shri Shantanu Kumar continued the operations.

Shri Shantanu Kumar exhibited an exceptional devotion to duty, presence of mind, courage and determination of high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 75-Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Cabinet Secretariat :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Sidda Raju,
Junior Captain,
Cabinet Secretariat.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 76 Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Cabinet Secretariat :—

Name and Rank of the Officer

Shri Kewal Krishan Sharma,
Sub-Inspector,
Cabinet Secretariat.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th December, 1971.

No. 77 Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Cabinet Secretariat :—

Name and Rank of the Officer

Shri Suresh Chandra Sharma,
Junior Captain,
Cabinet Secretariat.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 78 Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Karnail Singh,
Jemadar, VII Battalion,
Indo-Tibetan Border Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

During the Indo-Pak war Shri Karnail Singh was ordered to move with his Company for operations against Pagistani commando infiltrators. Immediately on arrival he was directed to deploy his platoon for the protection of the Gun posts. Though under heavy enemy artillery fire and shelling at that time, Shri Karnail Singh at grave risk to his own life immediately addressed himself to the task, and personally supervised the defences of his platoon and deployed his men at points from where he could effectively watch and withstand enemy fire. On the night of 7th December, 1971 his platoon was ordered to hold a post. He himself led the platoon to this new position, although the route was risky and the enemy was active all throughout.

It came to be known that the Pakistani commandos had largely infiltrated the area. Accordingly under the direction of his Coy Commander he organised intensive patrolling as well as combing of the area. He was always in the forefront of patrols and his courage and determination were a shining example to his men. The terrain-a-mountajnous area interspersed with thick woods—was infested with the highly trained Pak commandos. The patrolling and combing were so effective that the Pakistanis were kept on the run and the gun positions remained safe. As a result of these efforts the plans of the Pak commandos got thoroughly upset; a number of them were captured at different places and some were shot by the Indo-Tibetan Border Police personnel.

Shri Karnail Singh, in successfully organising the defences of the Gun area and the post under most trying conditions and in persistently conducting long and effective patrolling over difficult terrain at grave peril to his personal safety, displayed qualities of leadership, perseverance and exceptional courage.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the Special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th December, 1971.

No. 79 Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Tarlok Singh,
Company Commander,
VII Battalion,
Indo-Tibetan Border Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

During the Indo-Pak-war, Shri Tarlok Singh along with his company reached the operational area on 5th December, 1971, which was then under heavy fire of enemy artillery. His company had spent just 2 days when he was ordered to move his men to reinforce a post. While moving to the destination, his company came under heavy fire of Pak commandos. He had two alternatives then—either to go back or to carry out the mission for which he was detailed. He chose the latter although the situation was full of risks. He selected his route carefully and personally led the Jawans under suitable cover to the place of destination without any casualty Reaching the post at night, he immediately set about to organise the defences. The armed infiltrators who consisted of highly trained professionals, young and tough soldiers of Pak Army, and constituted a part of the Special Service Group of the Commando Battalion, kept on engaging the Indo-Tibetan Border Police Company on subsequent night from various points with automatic weapons. Shri Tarlok Singh maintained vigil round the clock and himself supervised the defences of the post. He effectively returned the fire of the enemy and also organised effective patrolling. This kept the enemy commandos on the run and they were not allowed to settle at any place His indefatigable efforts ultimately bore fruit and resulted in the capture of an armed infiltrator of the first Commando Battalion of the Special Service Group of Pakistan. Further, Shri Tarlok Singh by his tactful interrogation of the captured commando not only secured the recovery of his weapon but also a wealth of information of tactical and operational significance.

By leading his men under heavy enemy fire, effectively establishing defences at grave peril to his own life and organising patrolling and planning operations which disrupted enemy's plans. Shri Tarlok Singh exhibited conspicuous courage, exceptional skill and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the Special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th December, 1971.

No. 80 Pres/75.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Indo-Tibetan Border Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Chandra Mani,
Naik No. 14278,
VIII Battalion,
Indo-Tibetan Border Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

During the Indo-Pak conflict Shri Chandra Mani was deployed with his Section to protect the Gun area and to check the movements of the highly trained Pakistani commando infiltrators who had managed to infiltrate behind our forward defence lines. Shri Chandra Mani was manning one of the trenches in the defended locality along with Constable Kunwar Singh of his section. On December 16, at about 2200 hours a number of Pakistani commando infiltrators surrounded the area in pitch darkness, and engaged the Indo-Tibetan Border Police Coy from as many as six points, firing with automatic weapons at close range which was replied to. But in the darkness some commandos under the natural cover provided by the terrain managed to stealthily infiltrate into the defended locality, and headed straight towards the BMG, sighted on the flank with a view to capturing it. Their movement was spotted by the keen eye of Shri Chandra Mani despite darkness, and alerting his colleague Constable Kunwar Singh, he at once prepared to meet the challenge. With great presence of mind, he immediately formulated a plan so as to allow the infiltrators to come quite close to their own position. This was a very correct appreciation of the situation, as otherwise in the darkness of the hour any premature opening of fire at long range would have been fruitless. When the infiltrators came within a reasonable distance in front of his trench, Shri Chandra Mani, who was until then behind cover, sprang up with lighting speed and fired eight shots in quick succession from his semi-automatic rifle bringing down two infiltrators on the spot. The third one was wounded and he managed to escape in the darkness but left behind his automatic rifle. Two bodies and all the three rifles were recovered from the spot. By his skill and singular display of courage Shri Chandra Mani saved what might have been an ugly situation in that sector.

Shri Chandra Mani exhibited high sense of devotion to duty, conspicuous courage and exceptional skill at great risk to his own life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the Special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th December, 1971.

K. BALACHANDRAN,
Secretary to the President.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 31st May 1975

RESOLUTION

No. F.10(4)/69-Wakf.—The term of the Wakf Inquiry Committee set up by the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department, Resolution No. F.10(4)/69-Wakf dated the 9th December, 1970, published in the Gazette of India, Part I, Section I, dated the 23rd January, 1971 and extended upto 30th April, 1975, *vide* Resolution No. F.10(4)/69-Wakf, dated 25th November, 1974, is hereby further extended upto the 31st July, 1975.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments, Administrators of Union Territories etc.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

E. VENKATESWARAN,
Director to the Govt. of India.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 21st June 1975

No. 13019/6/75-G.P.—The President is pleased to nominate the following non-official members to the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli for the year 1975-76.

1. Smt. Chandrikaben Trivedi,
2. Shri Rupjibhai Devajibhai Pasaria,
3. Shri Barjulbhai Navsabhai Andher.

R. D. KAPUR, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 13th June 1975

RESOLUTION

No. 2(12)/74-MAT/MFE.—In the context of acute and containing shortage of cement in the country, the question of examining the possibility of using lime in the construction industries has been engaging the attention of the Govt. for some time past. In order to examine in depth the problem of economy in the use of cement, the Govt. of India have decided to set up a committee consisting of the following :

Chairman :

1. Member (D&R), Central Water Commission, New Delhi.

Members :

2. Chief Engineer (FI&T), Central Water Commission, New Delhi.
3. Director, Cement Research Inst., M-10, South Extn. Pt. II, New Delhi or his nominee.
4. Sh. N. Macodo, Managing Director, Dyers Stone Lime Co. Pvt. Ltd., 10, Alipur Road, Delhi or his nominee.
5. Shri S. P. Caprihan, Chief Engineer, (Irrigation) Madhya Pradesh, or his nominee.
6. Shri S. B. Khare, Addl. Chief Engineer, Sharda Sahayak Project, U.P. or his nominee.
7. Shri Harbans Singh, Chief Engineer (Projects) Punjab, or his nominee.

Member Secretary :

8. Director, CSMRS, Central Water Commission, New Delhi.

2. The Committee will study, examine and suggest different materials which can be used for Irrigation Projects in place of cement after taking into account the production, availability and economic feasibility of the materials to be recommended for use.

3. The Committee will submit its report within a period of three months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Deptts. of the Govt. of India, all State Govts./Administrations of Union Territories and the Chairman/Members of the Committee.

O. P. CHADHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi-110001, the 11th June 1975

No. 23/15/74-LI.—The President hereby directs that with effect from the 1st of March, 1975 the following further amendments shall be made in the rules relating to the Postal Life Insurance and Endowment Assurance, namely :—

In the opening sentence of clause (v) of sub-rule (1) of rule 42 of the said rules, for the figure and abbreviation "7%", the figures and abbreviations "8.5%" shall be substituted.

R. N. DEY, Dir.,
Postal Life Insurance

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975